



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/ATY-1832/UP/4/2024-APCR

दिनांक :31.12.2024

श्री अर्पित विजयवर्गीय
पुलिस अधीक्षक,
जिला - बागपत
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
पुलिस लाइन,
बागपत, उत्तर प्रदेश -250609
Email Id: spbpt-up@nic.in

विषय: उधारी पैसा लिये होने का हवाला देकर कुछ लोगों द्वारा श्रीमती रेशमा से पैसा मांगने तथा धमकाने के संदर्भ में

संदर्भ: आयोग का नोटिस दिनांक 21.06.2023 ओर आयोग का अनुस्मरण पत्र दिनांक 25.11.2024

महोदय,
चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच /की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **08.01.2025 को 12:40 PM** बजे सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप** से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाधकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड 8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(एच.आर. मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्रीमति रेशमा
पति श्री श्याम सुंदर
ग्राम - ककड़ीपूर बड़ौत
जिला - बागपत
उत्तर प्रदेश -250623
मो. नं. 8979920157
E.mail: shyamsundra516@gmail.com

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading